



भारत-सऊदी अरब नीतिगत संबंध: कुछ सुझाव

डॉ. जाकिर हुसैन*

भूमिका

दो क्षेत्रीय शक्तियों भारत और सऊदी अरब ने व्यापार और वाणिज्य, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और लोगों के आपसी संपर्क के माध्यम से विगत में अपने संबंध को पोषित किया है। समय बीतने के साथ-साथ दोनों देशों ने अपने संपर्कों को ऊर्जा, प्रवास, व्यापार तथा निवेश, सुरक्षा, रक्षा, आतंकवाद-विरोध और क्षमता निर्माण जैसे ज्यादा सूक्ष्म/लघु तथा विविध क्षेत्रों में विकसित किया। वास्तव में नई दिल्ली और रियाद के बीच की ये गतिविधियां इस कथन की पृष्ठभूमि में हो रही थी कि पाकिस्तान को सऊदी अरब के भू-कार्यनीतिक परिकलन में एक अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इन दोनों (देशों) के बीच संबंध शीतयुद्ध के दौरान भी बने रहे। 9/11 की घटना और आतंकवाद के विरुद्ध अमेरिका के वैश्विक युद्ध (डब्ल्यूटीओ) के परिणामस्वरूप भी दोनों देश और निकट आ गए। इन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध अमेरिका के वैश्विक युद्ध (डब्ल्यूटीओ) में अमेरिका का सहयोग किया और अपने-अपने क्षेत्रों में अलकायदा और अलकायदा से आतंक के बढ़ते खतरे के संबंध में समान धारणाएं साझा कीं। वास्तव में इन गतिविधियों ने दोनों देशों के बीच और अधिक तथा घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पैदा कर दी। भारत और सऊदी अरब के बीच संबंध वर्ष 2006 में सऊदी शेख अब्दुल्ला की यात्रा से और अधिक प्रगाढ़ हुए। इस दौर ने न केवल सर्वोच्च स्तर पर राजनीतिक अदान-प्रदान के पांच दशकों से ज्यादा समय के खालीपन को भर दिया बल्कि एक विस्तृत आधार वाले संबंधों की जमीन भी तैयार कर दी जो बदलती क्षेत्रीय तथा वैश्विक व्यवस्था में इनके राष्ट्रीय हितों से मेल खाता है। दो दस्तावेज 'दिल्ली घोषणा' (2006) और 'रियाद घोषणा' (2010) जिन पर (इन देशों की) अपनी-अपनी राजधानियों में हस्ताक्षर किए गए, 21वीं सदी में इनके गहरे और विस्तृत सहयोग के परस्पर आग्रह का खाका/मूल योजना प्रस्तुत करते हैं।

सऊदी अरब

रियाद को दो पवित्र शहरों का संरक्षक (होने का), विश्व में तेल के सबसे बड़े भंडार-धारक तथा उत्पादक और विशेषकर इस्लाम के सुन्नी जगत में वैचारिक प्रमुख का प्रभाव रखने का कुछ प्राकृतिक विशेषाधिकार प्राप्त है। यह अधिराज खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी), इस्लामिक सम्मेलन संगठन (ओआईसी), अरब राष्ट्र लीग (एलएएन) और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) जैसे कुछ क्षेत्रीय संगठनों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस अधिराज का रूख सीरिया, इराक, लेबनान और अफगानिस्तान में सक्रिय विषम समूहों सहित क्षेत्रीय सक्रियताओं में प्रदर्शित होता है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह अधिराज अब एक सुखद स्थिति में है। हाल ही में हुए तेल में अप्रत्याशित लाभ के दौरान इसने लगभग 900 अरब अमरीकी डॉलर का ठोस विदेशी (मुद्रा) भंडार बना लिया, जिसने इस अधिराज को न केवल इसके जारी राजकोषीय असंतुलों को ठीक करने में, बल्कि निर्माण सहित विकासात्मक गतिविधियों को भी फिर से प्रारंभ करने में समर्थ बनाया है।

भारत

भारत की स्थिति में भी वर्ष 1973-74 की तुलना में अत्यधिक सुधार हुआ है, जब यह खाड़ी के देशों में तेल-अधिकता से पनपी खरीद की होड़ में भाग नहीं ले सका था। निर्माण परियोजनाओं के लिए संविदाओं सहित लगभग सभी सौदे अमरीकी-पश्चिमी सहयोगों से विनियोजित हुए। आज भारत विश्व की सबसे तेज़ी से उभरने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। 'मेक इन इंडिया' नीति के तहत नई दिल्ली वैश्विक निवेशकों को सर्वाधिक आकर्षक/लाभदायक बाज़ार उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त भारत ऊर्जा के खपत वाली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जो विश्व में तीसरे और एशिया में दूसरे स्थान पर है। यह ऊर्जा निर्यातकों को एक बड़ा बाज़ार उपलब्ध कराता है। नई दिल्ली ने विश्व में सबसे बड़े उत्पादक तथा कुशल कार्मिकशक्तियों और मध्यम वर्ग को भी पोषित किया है। अधिकांश अंग्रेजी बोलने वाले और द्विभाषीय इस मध्यम वर्ग ने विश्व भर में भाषा की बाधाएँ दूर की हैं और प्रौद्योगिकी तथा इन्टरनेट के माध्यम से संचालित विश्व में महत्वपूर्ण स्थान पाया है। अपनी कार्मिकशक्ति की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भारत ने उच्चतर शिक्षा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) तथा सूचना प्रौद्योगिकी, सस्ती चिकित्सा सेवाओं और फार्मास्यूटिकल उद्योग को बढ़ावा देने पर ध्यान केन्द्रित किया है।

इन क्षमताओं और वायदों के बावजूद, दोनों देश अपने लिए मौजूदा लाभप्रद स्थितियों का पर्याप्त उपयोग करने में समर्थ नहीं हो पाए हैं। इस नीति सार में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र निम्नलिखित हैं जहां सहयोग हेतु आगे और अध्ययन तथा प्रभावी वार्ता करने की आवश्यकता है:

ऊर्जा

(क) हाइड्रोकार्बन

ऊर्जा उन मूलभूत स्तंभों में से एक रहा है, जिसने दशकों तक भारत और सऊदी अरब के द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखा है। भारत में तेल तथा रसोई गैस (एलपीजी) की बढ़ती मांग को देखते हुए अनुमान है कि वर्ष 2040 तक यह (मांग) 317 मिलियन बैरल प्रतिदिन से बढ़कर 811 मिलियन बैरल प्रतिदिन (पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन)¹ अर्थात् दुगुने से भी अधिक हो जायेगी। भारत के कुल आयात बिल का 40 प्रतिशत से अधिक पहले ही पीओएल (पेट्रोलियम तेल व लुब्रिकेंट) का है, जबकि विश्व बाजार में अस्थिर ऊर्जा मूल्य के कारण सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था और समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ना जारी है। इस परिदृश्य के तहत भारत को न केवल अपने बढ़ते ऊर्जा बिलों का ध्यान रखना है, बल्कि इस अधिराज के साथ नई तरह की व्यवस्थाओं में भागीदारी भी करनी है, जो इसकी तेल तथा गैस आपूर्तियों को निरापद रख सकते हैं।

दोनों देशों के लिए लाभप्रद स्थिति सृजित करने के लिए कुछ नीतिगत कार्यवाहियों पर विचार किया जा सकता है अर्थात् एक ओर भारत पर बढ़ते ऊर्जा बिल के भार को कम करना और दूसरी ओर भारतीय बाजार में सऊदी ऊर्जा हितों की रक्षा करना:

- (i) दोनों देशों को मौजूदा विक्रेता-क्रेता संबंधों को भागीदारी में बदलने की आवश्यकता है। भारतीय निवेशकों को सऊदी अरब में गैस के क्षेत्र में निवेश करने के अवसर दिए जा सकते हैं। यह भारत के लिए अत्यधिक अनुकूल होगा क्योंकि वर्ष 2011-17 की अपनी कार्यनीतिक योजना के तहत भारत सरकार अपने सभी नागरिकों के लिए वहनीय और सुनिश्चित ऊर्जा की आपूर्ति की ओर अग्रसर है।
- (ii) भारत और सऊदी अरब दोनों स्थानीय मुद्रा अर्थात् रूपया-रियाल में ऊर्जा व्यापार करने पर विचार कर सकते हैं। यह कोई नया प्रस्ताव नहीं है। भारत (ऐसा) रूस के साथ कर रहा है और इसने विगत में इराक के साथ (भी ऐसा) किया है।
- (iii) भारत के पास विश्व का छठा सबसे बड़ा तेलशोधक केन्द्र है जहाँ यह पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री से 60 अरब अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष अर्जित कर रहा है। भारत मुख्यतः एशियाई परिष्कृत पेट्रोलियम बाजारों में कारोबार करता है और हाल के दशक में सऊदी अरब ने भी कारोबार हेतु

¹ भारत ने वर्ष 2005 में ऊर्जा खपत में जापान को पहले ही पीछे छोड़ दिया है और अमेरिका तथा चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन गया है

एशियाई कच्चे तेल बाज़ार का रूख किया है। परिणामस्वरूप रियाद अपने हितों पर नई दिल्ली के साथ तालमेल बैठा सकता है और तेलशोधन व्यापार में भारत की तुलनात्मक लाभप्रद स्थिति से फायदा उठा सकता है: (क) भारत को तुलनात्मक रूप से स्थिर और अबाधित तेल तथा रसोई गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करना; (ख) सऊदी अरब के निजी क्षेत्र को भारत की तेलशोधक परियोजनाओं में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना; (ग) भारत के उभरते क्षेत्र में भागीदारी करना; (घ) महत्वपूर्ण तेल भंडारों को बनाए रखने और भारतीय ऊर्जा बाज़ार में उनके दीर्घकालिक हितों को बनाए रखने में सहायता करना।

(ख) अक्षय (ऊर्जा)

भारत और सऊदी अरब सौर, पवन और जैव-ऊर्जा जैसे गैर-परंपरागत ऊर्जा क्षेत्रों में भी (मिलकर) काम कर सकते हैं। भारत और सऊदी अरब पवन ऊर्जा का उपयोग करने में एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। भारत सबसे बड़े पवन ऊर्जा उत्पादों में से एक के रूप में उभरा है और इसने विश्व-स्तरीय पवन ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माण की औद्योगिक क्षमता विकसित की है। सऊदी अरब, जिसके पास विस्तृत समुद्रतट है, वह इस क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग कर सकता है।

भारत भी अपने सौर ऊर्जा उद्यम में सऊदी अरब के साथ सहयोग कर सकता है। इस अधिराज ने वृहत रूप में सौर ऊर्जा का उपयोग करने पर ध्यान केन्द्रित किया है और इस उद्देश्य के लिए अलग से एक संगठन की स्थापना की है। भारत, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एशिया के अग्रणी देशों में से एक होने के नाते रियाद के साथ सहयोग कर सकता है और इसके भागीदार के रूप में उभर सकता है। अपनी प्रौद्योगिकीय क्षमता और सामर्थ्य का प्रदर्शन करने के लिए भारत को प्रमुख सऊदी शहरों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का आयोजन करना चाहिए; सौर ऊर्जा का उपयोग करने हेतु अनुसंधान एवं विकास केन्द्र की स्थापना करने में इस अधिराज की सहायता करनी चाहिए। इसके अलावा, यह उपलब्धियों के प्रतीक के रूप में कुल ऊर्जा मिश्रण में सौर ऊर्जा का उपयोग करने में अपनी योजना लक्ष्यों का प्रदर्शन भी कर सकता है। उदाहरण के लिए, इसने आधे दशक में 100 गीगावाट के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। सांस्थानिक स्तर पर दोनों देश सौर (ऊर्जा) सहित नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत/समर्पित अपनी प्रमुख संस्थाओं को संलग्न करने के बारे में सोच सकते हैं।

(ग) परमाणु ऊर्जा

सऊदी अरब ने वर्ष 2020 तक 80 अरब डॉलर का निवेश करके 22 रिएक्टरों का निर्माण करने की घोषणा की है। रियाद ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में चीन को कार्य सौंपा है। भारत भी सऊदी परमाणु ऊर्जा

बाजार में संभावनाओं की तलाश कर सकता है। इस क्षेत्र में अपनी भावी/प्रत्याशित क्षमता के साथ, नई दिल्ली निम्नलिखित कुछ क्षेत्रों में इस अधिराज को सहयोग देने पर विचार कर सकता है: (i) रिएक्टरों को चलाने के लिए सऊदी कार्मिकों को प्रशिक्षण देना; (ii) फास्ट रिएक्टरों और थोरियम इंधन चक्र विकसित करने में सऊदी अरब की सहायता करना, क्योंकि भारत के पास इन दोनों क्षेत्रों में उन्नत विशेषज्ञता मौजूद है; (iii) विशेषकर दूर दराज के मरुक्षेत्रों में जल अलवणीकरण संयंत्रों के छोटे परमाणु रिएक्टर विकसित करने तथा उनका उपयोग करने के लिए अनुसन्धान एवं विकास (प्रतिष्ठान) स्थापित करना। जल अलवणीकरण इस अधिराज के ऊर्जा उपभोग के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है; (iv) भारत सऊदी अरब के परमाणु अपशिष्ट प्रबंधन में भी मदद कर सकता है।

व्यापार

पिछले पांच वर्षों में, भारत-सऊदी अरब कुल द्विपक्षीय व्यापार तीन गुना बढ़ गया है और यह लगभग 4817 अरब डॉलर (2013-14) तक पहुंच गया है। यह अधिराज वर्तमान में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। तथापि, यह व्यापार सऊदी अरब के अत्यधिक पक्ष में है जो इस व्यापार आंकड़े 36 अरब डॉलर का तीन चौथाई निर्यात करता है और इसका केवल एक चौथाई 12 अरब डॉलर का आयात करता है। व्यापार में यह घाटा मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के साथ-साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में तेल की बढ़ती मांग के कारण उत्पन्न हुआ है। दोनों देशों को संतुलन कायम करते हुए अपने द्विपक्षीय व्यापार को स्थायी बनाने की आवश्यकता है; अन्यथा भारत को तेल आयात के स्रोतों का विस्तार करने और सऊदी तेल हिस्सेदारी को कम करने की आवश्यकता पड़ेगी। वर्तमान में भारत सऊदी अरब से अपने कुल तेल आयात का एक चौथाई आयात करता है।

द्विपक्षीय व्यापार को स्थायी बनाने के लिए दो नीतिगत तरीकों पर विचार किया जा सकता है। पहला, दोनों देशों “तेल हेतु परियोजना” नीति पर विचार कर सकते हैं। इसके तहत दोनों देश अपने-अपने निजी क्षेत्रों को पेट्रोसायन और अक्षय (ऊर्जा) क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। यह अधिराज भी भारतीय निवेशकों विशेषकर गैस क्षेत्र के निवेशकों को विशेष पैकेज का प्रस्ताव देने पर विचार कर सकता है। भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा और एशिया में दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा बाजार है। दोनों देशों के लिए यही सही समय है जब वे भारतीय निवेशकों के लिए कुछ क्षेत्रों को खोलने सहित दीर्घकालिक ऊर्जा सौदे कर सकते हैं। सऊदी अरब ने चीन के साथ दोनों देशों में डाउनस्ट्रीम कार्यकलापों में पहले ही सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं।

दूसरा, भारत और सऊदी अरब के बीच व्यापार असंतुलन निवेशों की मात्रा बढ़ाकर ठीक किया जा सकता है। सऊदी पूंजी भारत में इच्छित क्षेत्रों में आ सकती है और व्यापार घाटे को दूर कर सकती है। निवेश

पूंजी के माध्यम से व्यापार घाटा कम करना अब एक वैश्विक प्रचलन है।

निवेश

निवेश के क्षेत्र में दोनों अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे को बड़े अवसर उपलब्ध कराती हैं। भारत को अवसंरचना/आधारभूत सुविधा के क्षेत्र में तीन अरब डॉलर से अधिक की आवश्यकता है। सऊदी अरब, जिसके पास निजी निवेशकों सहित लगभग 500 अरब डॉलर नकदी है, और यह अच्छे मुनाफे के लिए बाजारों की तलाश कर रहा है, को इसके निवेशकों के भारतीय समकक्षों द्वारा आकर्षित किया जा सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था विकासात्मक प्रयोजनों के लिए इन निधियों को आकर्षित करके इनका उपयोग कर सकती है। नई दिल्ली सऊदी निवेशकों और निधि जमाकर्ताओं को आश्चस्त कर सकता है कि उनकी धनराशि अवरूद्ध नहीं होगी अथवा राजनीतिक खींचतान की शिकार नहीं बनेगी, जिसका सामना कभी-कभार वे अमरीकी-पश्चिमी बाजारों में करते हैं। भारत में उनकी बचत उभरते क्षेत्रों जैसेकि रियल स्टेट, आधारभूत सुविधाओं, सॉफ्टवेयर, सेवा क्षेत्र, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), सूचना प्रौद्योगिकी, उच्चतर शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं, अनुसंधान एवं विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, ऊर्जा, पर्यटन तथा होटल एवं आहार प्रबंधन उद्योग, परामर्श, तेल एवं गैस, पेट्रोरसायन, विद्युत, आवास एवं सड़क नेटवर्क, विशेषकर मेट्रो नेटवर्क का निर्माण करने में उपयोग में लाई जाएगी।

भारत और सऊदी अरब साझा हितों के प्रमुख क्षेत्रों में संयुक्त कार्य समूहों की स्थापना कर सकते हैं। भारत का निर्माण उद्योग सऊदी अरब में आवास, जल अलवणीकरण, परिवहन नेटवर्क, आवासीय शहरों का विशाल बाजार तलाश सकता है। सऊदी अरब में, विशेषकर हाल ही में तेल में हुए अप्रत्याशित लाभ के बाद निर्माण तथा विकास कार्यकलापों की नई लहर चल पड़ी है।

इसके अलावा, सऊदी निवेशक विभिन्न भारतीय राज्यों और केन्द्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई विभिन्न परियोजनाओं में वित्तपोषण करने पर भी विचार कर सकते हैं। यह (कदम) उन्हें न केवल विशाल भारतीय बाजार में प्रवेश करने में बल्कि मध्यम अवधि से दीर्घ अवधि तक के अपने हितों को सुरक्षित करने में समर्थ बनाएगा।

वित्त

वित्त एक अन्य क्षेत्र है जहां भारत और सऊदी अरब सहक्रियात्मक संबंध कायम कर सकते हैं। निजी पूंजी और संप्रभू स्वास्थ्य कोष सऊदी अरब में सबसे बड़े कोषों में से हैं। भारतीय एजेंसियों अपने वित्त तथा बैंकिंग क्षेत्रों में इस्लामिक बैंकिंग और इस्लामिक वित्त के सिद्धांतों का उपयुक्त समायोजन करके इस धनराशि को अपने यहां ला सकती हैं। मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलिपीन्स, थाइलैंड, चीन आदि जैसे

अनेक देश अपने-अपने विकासात्मक कार्यकलापों के लिए इन निधियों को आकर्षित करने और उनका उपयोग करने हेतु उपयुक्त समायोजन कर रहे हैं और निवेशकों के लिए पर्याप्त मुनाफे भी सुनिश्चित कर रहे हैं।

भारत में सऊदी पूंजी को इक्विटी बाजार में लगाया जा सकता है जहां निवेशक लाभ और हानि दोनों का बोझ समान रूप से साझा करते हैं और यह इस्लामिक नियमों द्वारा मान्य है, जिसमें ब्याज (रिबा) लेने पर प्रतिबंध है। बंबई स्टॉक एक्सचेंज ने पहली शरीयत-अनुपालक सूची/इंडेक्स प्रारंभ की है और लगभग 600 से 700 उद्योग शरीयत-आधारित निवेश के लिए उपयुक्त हैं।

भारत में अरबी भाषा जानने वालों की आबादी बहुत अधिक है। शेयर बाजार और कंप्यूटर में कुछ प्रशिक्षण देने के बाद, उनका इस्तेमाल इस अधिराज के शेयर बाजार को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। इससे दो सबसे बड़े क्षेत्रीय शेयर बाजार आपस में जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त, विशाल द्विभाषिक जनसंख्या दोनों देशों के वित्तीय संपर्कों का विस्तार भी विश्वभर में कर सकती है।

बहुपक्षीय मंचों पर संपर्क

बड़े राजनैतिक और आर्थिक दबदबे के साथ, भारत और सऊदी अरब बहुपक्षीय मंचों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और एक-दूसरे का कद/सामर्थ्य बढ़ाने के साथ-साथ क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तर पर परस्पर लाभ अर्जित कर सकते हैं। ऐसे चार क्षेत्र मौजूद हैं जहां दोनों देश सहयोग कर सकते हैं और अपने साझा राजनीतिक तथा आर्थिक हितों को अधिकतम लाभ पहुंचा सकते हैं।

- (i) भारत को खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) में एक पर्यवेक्षक का दर्जा चाहिए। रियाद इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत इस क्षेत्र को अपना समुद्री पड़ोस मानता है और इसने यहां के देशों के साथ घनिष्ठ संपर्क स्थापित करने तथा अपने विकास के लाभ इनसे साझा करने के लिए वर्ष 2005 में अपनी पश्चिमोन्मुख नीति की घोषणा की। बदले में, नई दिल्ली ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा दक्षिण अफ्रीका) समूह में पर्यवेक्षक के रूप में रियाद (के नाम) का प्रस्ताव कर सकता है। अरब जगत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और जी-20 का एकमात्र अरब सदस्य होने के नाते, शायद सऊदी अरब इस हैसियत/दर्जे का हकदार है।
- (ii) भारत को भी मुस्लिम देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने की आवश्यकता है। अतः, इस्लामी सम्मेलन संगठन (ओआईसी) से हाथ मिलाना आवश्यक प्रतीत होता है। सऊदी अरब, जिसका इस मंच में अत्यधिक बोलबाला है, भारत को इस बहुपक्षीय मंच में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। यह भारत को दुनिया के दो अरब मुसलमानों तक अपनी पैठ बनाने में महत्वपूर्ण

राजनीतिक बद्धत प्रदान करेगा। दूसरी ओर, यह (कदम) मुस्लिम नेताओं के सामने कश्मीर सहित राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दों पर भारत विरोधी-प्रचार को बेनकाब करने में भारत की सहायता करेगा।

- (iii) भारत को रियाद को शामिल करके खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत की प्रक्रिया में नए सिरे से तेजी लाने की जरूरत है, जिसपर वर्ष 2006 में हस्ताक्षर किए गए थे। रियाद और संयुक्त अरब अमीरात पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों को नकारात्मक सूची में शामिल करने पर सहमत नहीं हैं। यदि एक बार भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो अंतर-गुट व्यापार तीन गुना बढ़कर मौजूदा 160 अरब डॉलर से लगभग 480 अरब डॉलर हो जाने का अनुमान है। इससे भूतकाल तथा भविष्य के बड़े संपर्क कायम होंगे और दोनों देशों में विविध क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यक्रमों में तेजी आएगी। अपने-अपने क्षेत्रों और समूहों की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सहयोग - दक्षिण एशिया तथा सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) में भारत और खाड़ी तथा खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) में सऊदी अरब - खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) और सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) को विश्व में (सबसे) बड़े आर्थिक गुटों में से एक बनाने में भी सहायक होगा। दोनों देश और दोनों क्षेत्र विश्व को सबसे बड़े अप्रयुक्त बाजार और संसाधन (हाइड्रोकार्बन) उपलब्ध कराते हैं।
- (iv) संयुक्त राष्ट्र में सुधार के संबंध में रियाद और नई दिल्ली दोनों के ही विचार एक जैसे हैं। दोनों ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) का विस्तार किए जाने के इच्छुक हैं। पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीकी (वाना) क्षेत्र और अनेक समूहों में एक प्रभावशाली नायक होने के नाते रियाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी)² में स्थायी सदस्यता हेतु नई दिल्ली की दावेदारी के लिए भारत-समर्थक राय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

प्रवास

प्रवास एक अन्य क्षेत्र है जहां दोनों देशों के बीच वार्ता/बातचीत की आवश्यकता है। सऊदी अरब में विश्व में सबसे अधिक संख्या में भारतीय ठेका/संविदात्मक श्रमिक रहते हैं, जिनकी संख्या लगभग तीस लाख हैं और जो अरबों डॉलर, प्रत्येक वर्ष लगभग 20 अरब डॉलर वापस भारत भेजते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान करने के अलावा, इन्होंने एक मजबूत सऊदी अर्थव्यवस्था और समाज के निर्माण

² पिछले वर्ष नवम्बर 2013 में, सऊदी अरब ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) (की सदस्यता) यह कहते हुए ठुकरा दी कि यह निष्पक्ष तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में नाकाम रहा है। अब यह संयुक्त राष्ट्र में अरब देशों की स्थायी सदस्यता के लिए पैरवी कर रहा है। अतः भारत और सऊदी अरब एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं।

में भी योगदान दिया है। तथापि, पूर्वोदाहरण दर्शाते हैं कि (वहां) इन भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा करने तथा उन्हें पर्याप्त सुरक्षोपाय उपलब्ध कराने के लिए शायद ही कोई ठोस कानूनी और संस्थागत व्यवस्था है। आपात स्थिति में, वे पूरी तरह से स्थानीय एजेंटों और लोगों की दया पर (निर्भर) रहते हैं।

इस अधिराज में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा एवं कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं:

- (i) खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) में सऊदी अरब एकमात्र देश है जिसके साथ भारत ने कार्मिकशक्ति करार पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। दोनों देशों अब कार्मिकशक्ति करार पर हस्ताक्षर करके सऊदीकरण/निताकत से संबंधित प्रायोजन (काफ़ाला), इस अधिराज में रह रहे भारतीयों के अवैध अथवा ज्यादा (समय तक) रुकने और इनकी स्थिति संबंधी सटीक आंकड़े रखने जैसे मुद्दों को सुलझा सकते हैं।
- (ii) नई दिल्ली इस अधिराज के विभिन्न भागों में बुनियादी/तृणमूल स्तरों पर प्रवासी संरक्षण तथा सतर्कता केन्द्र स्थापित कर सकता है। ये केन्द्र कुछ अनुसंधान गतिविधियां चला सकते हैं और समय-समय पर भारतीय एजेंसियों और (उनके) सऊदी समकक्षों को सुझाव प्रदान कर सकते हैं। वे काम के घंटे, कार्यस्थल तथा आवास की हालत/स्थिति के साथ-साथ भारतीय श्रमिकों को दिए जाने वाले वेतनों की राशि तथा देने के तरीके और ऐसे विभिन्न अन्य मुद्दों के संबंध में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं जिनका सामना भारतीय श्रमिक सुदूर रगिस्तानी क्षेत्रों में करते हैं।
- (iii) अरबी भाषा विशेष रूप से उन शिक्षित कामगारों के लिए एक बड़ी बाधा है जो सऊदी दुभाषियों और न्यायालय की दया पर निर्भर करते हैं। अधिकांश समय, इन श्रमिकों के साथ कथित तौर पर न्यायोचित व उपयुक्त व्यवहार नहीं किया जाता है। कभी-कभी उन्हें कानूनी और संस्थागत सहायता की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए, कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके तहत भारतीय श्रमिकों को उनके मुकदमों में सऊदी न्यायालयों में भारतीय वकील कानूनी सहायता प्रदान कर सकें। इन वकीलों को या तो ऑनलाइन या मेजबान देश का दौरा करके ऐसे मामले पर कार्रवाई करने के लिए अनुज्ञापत्र/परमिट प्रदान किया जा सकता है।

आतंकवाद, सुरक्षा, और समुद्री मामले

भारत और सऊदी अरब आतंकवाद और उग्रवाद के एक-समान खतरे का सामना कर रहे हैं। दोनों देशों को इस खतरे का सामना करने के लिए एक विशिष्ट संयुक्त योजना विकसित करने की जरूरत है। हाल के वर्षों में, रियाद ने लगभग बारह वांछित/वांटेड व्यक्तियों को नई दिल्ली को सौंपकर कुछ हद तक परिपक्वता दिखाई है। तथापि, इस जानकारी की गोपनीयता भंग होने से रियाद को नाराजगी हुई,

क्योंकि इससे मुस्लिम जगत में उसकी छवि प्रभावित होती है।

किसी विचारधारा पर आधारित उग्रवाद और आतंकवाद का सामना करने तथा इसके संभावित विस्तार को रोकने के लिए दोनों देशों द्वारा कुछ उपाय किए जा सकते हैं:

- (i) भारत को सऊदी शिक्षाविदों, विशेषकर धार्मिक मदरसों के साथ करीबी संपर्क/बातचीत की जरूरत है। किसी विचारधारा तथा विचारधारा से प्रेरित सोच की बेहतर समझ उन्हें दुष्प्रचार और उग्रवादियों के जाल में फंस जाने वाले अतिसंवेदनशील युवाओं को बरगलाने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम बनाएगा।
- (ii) दोनों देशों को धार्मिक कट्टरवाद और अतिवाद के बीच के संपर्कों/संबंधों से मुकाबला करने के लिए विद्वानों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं के नियमित आदान-प्रदान के साथ-साथ एक साझा मीडिया नीति विकसित करने की आवश्यकता है।
- (iii) धर्म को आतंकवाद से अलग किया जाना चाहिए। इससे किसी विचारधारा से प्रेरित आतंकवाद के संपूर्ण मुद्दे पर एक स्वस्थ चर्चा हो सकेगी।³
- (iv) भारतीय तथा सऊदी लोगों के बीच नियमित सांस्कृतिक और लोगों के आपसी कार्यक्रम तथा मेलमिलाप का आयोजन किया जाना चाहिए और यह संदेश सबसे निचले स्तर तक जाना चाहिए। ताकि, दोनों देशों के लोग असली षड्यंत्रकारियों/अपराधियों को जान सकें जो अपने निहित स्वार्थ (पूर्ति) के लिए काम कर रहे हैं और उन्हें (लोगों को) लामबंद करने के लिए धर्म का उपयोग कर रहे हैं। इससे भारत को वैचारिक घृणा से निपटने और पाकिस्तान का मुकाबला करने के साथ-साथ; अफगानिस्तान सहित इस क्षेत्र में एक बेहतर संपर्क/उत्तोलन विकसित करने; और, अंततः, जिहादवाद से निपटने में सहायता मिलेगी।
- (v) भारत सऊदी अरब से कट्टरता विरोधी कार्यक्रम भी सीख सकता है, जो ग्वांतानामो खाड़ी से लौटे कट्टर आतंकवादियों के दिलोदिमाग को बदलने में काफी सफल रहा है।
- (vi) सऊदी अरब ने भी युवाओं को गलत हाथों में पड़ने से रोकने संबंधी व्यापक कार्यक्रम विकसित किए हैं। इस में, अधिकारियों ने जागरूकता बढ़ाने में तेजी लाने के लिए जनसंपर्क माध्यमों और सरकारी अभियानों का उपयोग किया है। भारत सऊदी अरब के अनुभवों से लाभ उठा सकता है और दोनों देश अपने आसूचना/खुफिया (तंत्र) की साझेदारी कर सकते हैं।

³ हाल ही में, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने धर्म को आतंकवाद से अलग/पृथक करने पर जोर दिया।

सुरक्षा और समुद्र/नौचालन

समुद्री (व्यापार) एक अन्य क्षेत्र है जहां दोनों देश सहयोग कर सकते हैं और मजबूत संबंध स्थापित करके एक-दूसरे के लिए परस्पर प्रतिबद्धता सुनिश्चित कर सकते हैं। इनके बीच, समुद्री संचार मार्ग (एसएलओसी) की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण (कार्यों) में से एक है। सऊदी अरब का तेल थोक मात्रा में विशाल हिन्द महासागर के रास्ते पूर्वी अर्थव्यवस्थाओं तक ले जाया जाता है। एक प्राकृतिक समुद्री ताकत होने के नाते, भारत के पास न केवल सऊदी तेल टैंकरों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने, बल्कि दोनों जलडमरूमध्य, होर्मुज जलडमरूमध्य और मलक्का जलडमरूमध्य के बीच सम्पूर्ण समुद्री संचार मार्ग (एसएलओसी) को सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता है। भारत ने हिन्द महासागर में इकलौता सुरक्षा प्रदाता बनने की अपनी इच्छा भी व्यक्त की है। रियाद साझेदार बन सकता है और भारत से खुफिया तथा अद्यतन जानकारी साझा कर सकता है।

दोनों देशों ने एक संयुक्त रक्षा सहयोग करार पर हस्ताक्षर भी किए हैं, जिसका विस्तार नौसेना संपर्कों तक भी किया जा सकता है। भारत भी रियाद को विभिन्न वार्षिक नौसैनिक अभ्यासों (मालाबार, मिलान, आदि) में आमंत्रित कर सकता है, जिसे नई दिल्ली प्रत्येक वर्ष पड़ोसी देशों और क्षेत्रीय संगठनों सहित प्रमुख नौसैनिक शक्तियों के साथ आयोजित किया करता है। इसका आयोजन करना आसान है क्योंकि सऊदी अरब भारत-प्रायोजित आईओएनएस (हिन्द महासागर नौसेना संगोष्ठी) का सदस्य है।

खाड़ी (देशों) के लिए भारत का नीतिगत दृष्टिकोण

खाड़ी क्षेत्र भारत के राष्ट्रीय हित के सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। यह भारत की आर्थिक वृद्धि तथा विकास से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। यह क्षेत्र भी चट्टान/रॉक और रासायनिक उर्वरकों की थोक आपूर्ति करके भारत की खाद्य सुरक्षा में योगदान देता है। तथापि, यह खाड़ी क्षेत्र वर्तमान में अस्थिरता के एक बड़े दौर से गुजर रहा है। यह (क्षेत्र) शिया-सुन्नी संघर्ष, क्षेत्रीय वर्चस्व की दौड़, कबीलाई/जनजातीय और जातीय संघर्ष, अतीत के दोहराव और अंतहीन अरब-इजरायल विवाद जैसे सभी प्रकार के विघटनों में बंट गया है। सत्ता के विभिन्न केन्द्रों को देखते हुए, भारत की खाड़ी नीति में तीन संकेन्द्रित चक्रों के आलेखन/निरूपण की जरूरत है जिसमें प्रत्येक चक्र अलग-अलग सत्ता केन्द्रों का प्रतिनिधित्व करे: पहला चक्र रियाद-केन्द्रित है, जिसमें खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) और अरब जगत में इसके सहयोगी हैं; दूसरा चक्र तेहरान और इसके सहयोगियों का है, जबकि तीसरा चक्र इजराइल-केन्द्रित है, जिसमें एक बहिर्जात अनिवासी ताकत अमरीका भी शामिल है। भारत के लिए सभी तीनों चक्र महत्वपूर्ण हैं और वे राष्ट्रीय हितों के अलग-अलग समूहों/हिस्सों का प्रतिनिधित्व करते हैं। परिणामस्वरूप, उन्हें अलग-अलग नीतिगत नुस्खों की आवश्यकता है।

इस क्षेत्र में भारत की बड़ी भागीदारी/हिस्सेदारी को देखते हुए, नई दिल्ली को न केवल सतर्क रहने की आवश्यकता है, बल्कि इसे तटस्थ/निष्पक्ष भी रहना है; इसे सभी तीनों चक्रों से समान दूरी की नीति बनाए रखनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि नई दिल्ली को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए अरब जगत/देशों का समर्थन जुटाने हेतु अपना दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखना चाहिए।

निष्कर्ष

कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं, जहां नई दिल्ली और रियाद को आपसी विश्वास बढ़ाने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, अमरीकी पुनर्संतुलन नीति के तहत, वॉशिंगटन अपना ध्यान अन्य क्षेत्रों की ओर केंद्रित कर रहा है। परिणामस्वरूप, चीन और रूस का आर्थिक तथा भू-कार्यनीतिक दोनों प्रकार से खाड़ी क्षेत्र में अपने पांव जमाना तय है। भारत को चीन के साथ प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि सहयोगी संबंधों को बढ़ावा देकर इस क्षेत्र में अपने हित सुरक्षित रखने की जरूरत है। सबसे बड़ा ऊर्जा आपूर्तिकर्ता, अति मूल्यवान व्यापार भागीदार और महत्वपूर्ण आप्रवासी-मेजबान देश होने के नाते, रियाद दोनों देशों के हितों में संतुलन कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

इसके अलावा, यह जानकारी भी महत्वपूर्ण है कि शक्ति संतुलन पश्चिम से पूरब की ओर खिसक रहा है। यह नए वातावरण को जन्म देगा और भारत के लिए नए अवसर और चुनौतियां लाएगा। खाड़ी में और अपने पड़ोस में अपने हितों की सुरक्षा के लिए, भारत को एक क्षेत्रीय सहयोगी की आवश्यकता है और रियाद, जो अपने अस्तित्व के लिए बाहरी समर्थन पर निर्भर है और साथ ही, प्रभावी भूमिका भी अदा करता है, भारत के हितों के लिए खाड़ी क्षेत्र में अपेक्षाकृत स्थिर और मजबूत किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक अनुकूल है। अतः नई दिल्ली के लिए यही मौका है कि वह द्विपक्षीय संपर्कों/संबंधों से इतर भी देखे और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय चिन्ताओं को दूर करे, जिसमें रियाद एक महत्वपूर्ण सहयोगी हो सकता है।

**डॉ. जाकिर हुसैन विश्व मामलों की भारतीय परिषद, नई दिल्ली में अनुसंधान अध्ययता हैं।
लेखक द्वारा व्यक्त विचार उनके व्यक्तिगत विचार हैं।*